न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।

श्रीमती सलमा *बनाम* *सफदर अली आदि।*

एफ.आर. वाद संख्या–172/2019

अपराध संख्या–245/2018

थाना–डिलारी।

20.06.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थनी/वादनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

मु.अ.सं.–245/2018 अंतर्गत धारा–279,338 भा.द.सं. थाना–डिलारी, के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या–86/18 पर वादनी मुकदमा का कथन है कि प्रार्थनी ने मुकदमा उपरोक्त दिनांक 30.07.2018 को माननीय न्यायालय में धारा–156(3) सीआर.पी.सी. दायर कर माननीय न्यायालय के आदेश से थाना–डिलारी में दिनांक 26.09.2018 को मुकदमा उपरोक्त के मुल्जिम के विरुद्ध पंजीकृत कराया था, क्योंकि थाना–पुलिस पहले से ही मुल्जिम से हमसाज थी। थाना पुलिस ने मुल्जिम से हमसाज होकर व नफा नाजायज कमाकर गलत तरीके से माननीय न्यायालय में एफ.आर. सं0–86/18 प्रस्तुत की है। वादनी ने सी.डी.–2 दिनांक 02.10.18 में अपने बयान में घटना को पूर्ण रूप से होना साबित किया है। विवेचक महोदय द्वारा उक्त गंभीर अपराध में प्रार्थनी के बयान व घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत भी मुल्जिम की कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है, बल्कि प्रार्थनी को बार–बार परेशान कर फैसले का दबाव बनाया गया है। विवेचक महोदय द्वारा अभियुक्तगण से हमसाज होकर मुल्जिम के ग्राम व पक्ष के लोगों के शपथपत्र तैयार कराकर व उन्हें विवेचना में शामिल करके कतई गलत व झूठ के आधार पर मुल्जिम को फायदा पहुंचाकर विवेचक महोदय ने माननीय न्यायालय में एफ.आर. प्रस्तुत की है। उक्त एफ.आर. श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय ठाकुरद्वाराके द्वारा पुनः विवेचना हेतु वापस की गयी जिसमें उक्त विवेचक द्वारा ही एस.सी.डी.1 दिनांक 21.02.19 को बिना जांच पड़ताल किये मुल्जिम से हमसाज होने के कारण मुल्जिम के पक्ष में अंकित किया है जोकि कतई झूठ व फर्जी है। वादनी ने एस.सी.डी.4 में दिनांक को विवेचक महोदय द्वारा पुनः बयान अंकित किये गये हैं जिसमें प्रार्थनी ने घटना का होना पूर्ण रूप से साबित किया है। प्रार्थनी द्वारा घटना का नक्शा घटना स्थल पर पहुंचकर उक्त मुदकमे की दोनों विवेचक महोदय को एक ही स्थान का निरीक्षण कराया गया था, परन्तु दोनों विवेचक महोदय मुल्जिम से हमसाज थे जिस कारण दोनों विवेचक ने घटना का नक्शा भी अलग–अलग बनाया गया है। उपरोक्त तथ्यों व कारणों के आधार पर उक्त केस में विवेचक द्व ारा प्रेषित उक्त एफ. आर संख्या–86/2018 निरस्त कर मामले की अग्रिम विवेचना के आदेश पारित किये जाने की याचना की हैं।

विवेचक ने प्रेषित अंतिम आख्या में यह कथन किया है कि तमामी विवेचना से स्पष्ट हुआ कि वादनी का लड़का नासिर को 14 वर्ष कहा है, पहले भी छत से गिरकर चोटिल हो चुका है जिसका इलाज दिल्ली से चल रहा था कि सफदर अली के सावधानी पूर्वक ट्रैक्टर चलाने पर भी भीड़ काफी होने के कारण लोगों को बचाने के चक्कर में अक्समात् ट्रैक्टर का पहिया टच हो जाने के कारण ये नासिर गिर गया था और जहां पहले चोट लगी थी वहीं पर चोट आ गयी थी जिसका दवा ईलाज गांव के तमाम लोगों के कहने पर सफदर अली ने एक

लाख रूपये का इलाज कराया और नासिर ठीक हो गया। नासिर का पिता नवाब हो हिस्ट्रीशीटर है ने मनसूबा बनाकर पांच लाख रूपया और लेने का दबाव बनाया तथा माननीय न्यायालय को गुमराह करके 6 माह बाद मनगढ़ंत रूप से आरोप लगाकर झूठा मुकदमा माननीय न्यायालय के आदेश से दर्ज कराया जिससे कि माननीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सके। जबकि वादी द्वारा कथन किया गया है कि विवेचक महोदय द्वारा उक्त केस में अभियुक्तगण से हमसाज होकर झूठी विवेचना के आधार पर प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट संख्या–86/2018 निरस्त कर पुनः साक्ष्य व बयानात लेते हुए उचित एवं न्यायसंगत विवेचना किये जाने की याचना की है। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र अग्रिम विवेचना हेतु भेजी जानी युक्तियुक्त प्रतीत होती है।

<u>आदेश</u>

एफ.आर.सं.–86/2018, मु.अ.सं.–245/18 अन्तर्गत धारा–279,338 भा.द.सं., थाना–डिलारी निरस्त की जाती है। विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्रकरण में युक्तियुक्त तरीके से अग्रिम विवेचना करे।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।